TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii)
OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY.

NOTIFICATION

NEW DELHI, the 20th Dec., 1990.

GIFT TAX

G.S.R. :- In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Government hereby declares the United Stated of America to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

(N.C. JAIN)
Joint Secretary to the Government of India

Notification No. 8788)(F.No. 501/2/74-FTD)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 20.12.1990.

दान-कर

सा. का. नि. केन्द्रीय सरकार, दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 44 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक व्यतिकारी देश होगा।

(एन. सी जैन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 8788 (फा. सं0 501121 74 एफ टी डी)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

विदेश कर प्रभाग

नई दिल्ली, तारीख 20.12.1990.

अधिसूचना

आय-कर

सा. का. नि. दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के लिए और आय पर करों की बाबत राजवित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच इससे उपाबद्ध कंवेंशन, उक्त कंवेंशन के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में उक्त कन्वेंशन को प्रवृत्त करने के लिए अपने कानूनों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा कर दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे की अधिसूचना के पश्चात् 18.12.1990 को प्रवृत्त किया गया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क (ख) और दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 44(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह भी निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।